सं. 31011/5/2014-स्था.(क-IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक :21अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए हवाई जहाज के टिकटों की बुकिंग की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 23.09.2015 के कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश है कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार जब कभी कोई सरकारी सेवक हवाई जहाज से यात्रा करने के बाद छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का दावा करेगा, तो उसे छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के सिलसिले में की जाने वाली यात्रा के लिए हवाई जहाज के टिकट सीधे एअरलाइंस (बुकिंग काउंटर, एअरलांइन की वेबसाइट) से अथवा प्राधिकृत ट्रेवल एजेंसियों जैसे 'मैसर्स बामर लारी एंड कंपनी', मैसर्स अशोक ट्रेवल एंड टूअर्स और 'आईआरसीटीसी' (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.12.2009 के का.ज्ञा.सं. 31011/6/2002 स्था.क के अनुसार जिस सीमा तक 'आईआरसीटीसी' अनुसार प्राधिकृत है) के माध्यम से खरीदना होगा।

2. इस विभाग में इस संबंध में पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें इस आशय का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों द्वारा टिकट बुक कराने से संबंधित ऊपर उल्लिखित शर्तों का पालन उन मामलों में भी किया जाना आवश्यक है जिन मामलों में ऐसा कोई गैर हकदार सरकारी कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के सिलसिले में जहाज से यात्रा करता है जो इस प्रकार की यात्रा करने के लिए हकदार नहीं है।

3. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श कर इस मामले की जांच की गई है और एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के सिलसिले में हवाई जहाज से यात्रा करने वाले और हकदारी रेल किराए का दावा करने वाले गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी के मामले में प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों जैसे 'मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी', मैसर्स 'अशोक ट्रेवल्स एंड टूअर्स' एवं 'आईआरसीटीसी' के माध्यम से हवाई जहाज के टिकट बुक करने की शर्त पर जोर नहीं दिया जाए। शेष मामलों में, प्राधिकृत तरीकों से टिकट बुक करने की शर्त जारी रहेगी।

सूर्य नारायण झा
21.8.17
(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सचिव,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रति प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिनस्थ कार्यालय
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस विभाग की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने के अनुरोध के साथ
   (अधिसूचना << कार्यालय ज्ञापन/आदेश << स्थापना << छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) नियम)